अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल,सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्याः 13/2013

आभा देवी –– अपीलार्थी

वनाम

राज्य –– रेस्पोण्डेन्ट

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांकः 2354 दिनांक 17.05.2013 ई० के विरूद्ध आंगनबाड़ी चयनमुक्ति अपील वाद संख्याः 13/2013 उप निदेशक, कल्याण, को0 प्र0, सहरसा के न्यायालय में दायर किया गया था जो आयुक्त कोशी प्रमडल, सहरसा के आदेश ज्ञापांकः 494/क0 दिनांकः 02.08.2013 के आलोक में उनके न्यायालय से स्थानांतरित होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

संक्षेप में मामला यह है कि किशनपुर परियोजना के केन्द्र संख्या 48 का निरीक्षण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (I.C.D.S) सुपौल द्वारा दिनांकः 18.01.2013 को 1.20 बजे किया गया। निरीक्षण के क्रम में केन्द्र बन्द पाया गया तथा केन्द्र पर एक भी बच्चे उपस्थित नहीं थे, सहायिका अनुपस्थित थी।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांकः 383/प्रो० दिनांकः 23.03.2013 द्वारा सेविका श्रीमति आभा देवी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। दिनांकः 25.03.2013 को सेविका श्रीमति आभा देवी अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुई। स्पष्टीकरण में केन्द्र बन्द रहने एवं एक भी बच्चा उपस्थित नहीं रहने के संबंध में सेविका द्वारा बताया गया कि निरीक्षण की तिथि को मुस्कान कार्यकम के अंतर्गत टीकाकरण का कार्य हेतु लाभुकों को बुलाने गयी थी, इसी क्रम में बच्चे भाग गये इसके पूर्व 1:00 बजे पोषाहार बच्चों को खिला दिया गया था। इसके अलावे सेविका द्वारा अपने पक्ष में सुनवाई में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके पूर्व भी दिनांकः 18.10.2012 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के निरीक्षण के क्रम में 11:30 बजे 17 बच्चे

ही उपस्थित पाये गये थे तथा केन्द्र पर पंजी उपलब्ध नहीं था जिसके उत्तर स्वरूप सेविका द्वारा कहा गया है कि खाना खाने के समय 28 बच्चे उपस्थित थे तथा शेष बच्चों का पोषाहार अभिवावक ले गये तथा केन्द्र पर भंडारण हेतु जगह नहीं रहने के कारण सभी पंजी उपलब्ध नहीं था।

सेविका द्वारा दिनांकः 18.01.2013 को केन्द्र बंद रहने एवं दिनांकः 18.10.2012 को बच्चों की कम उपस्थिति रहने के संबंध में दिये गये जवाब पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न न्यायालय केन्द्र बंद रहने एवं केन्द्र संचालन अवधि में एक भी बच्चे उपस्थित नहीं रहने के आरोप में सेविका श्रीमति आभा देवी का चयन रद्द कर दिया गया है वो माहः अक्टूबर–2012 में केन्द्र पर मात्र 17 बच्चे उपस्थित रहने के कारण शेष 23 बच्चों के पोषाहार की राशि माह–अक्टूबर 2012 का वसूली एवं माहः जनवरी–2013 में कुलः 03 से 06 वर्ष के बच्चे की पोषाहार की राशि की वसूली हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर को निर्देश दिया गया है तथा केन्द्र पर सेविका चयन की प्रक्रिया 15 दिनों के अंदर प्रारंभ करने की कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी का चयन सेविका के पद पर सुपौल जिला के प्रखंड परियोजना, किशनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत– शिवपुरी के आंगनबाड़ी केन्द्र– प्राथमिक विद्यालय थरविट्टा, केन्द्र संख्याः 48 हेतु वर्षः 2005 में विधिवत रूप से किया गया व प्रशिक्षणोपरांत योगदान देकर केन्द्र का संचालन सही वो सुचारू रूप से विभागीय दिशानिदेश का अक्षरशः पालन करते हुए अपीलार्थी पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा से करती चली आ रही थी। अपीलार्थी के विरूद्ध केन्द्र के संचालन के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत पोषक क्षेत्र के लाभुकों द्वारा और न ही किसी विभागीय पदाधिकारी द्वारा किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा भी कई बार अपीलार्थी के केन्द्र का निरीक्षण किया गया है परंतु उनके द्वारा कभी भी अपीलार्थी को केन्द्र से अनुपस्थित नहीं पाया गया वो केन्द्र के संचालन से संबंधित कभी भी कोई शिकायत नहीं रही है तथा वे विभागीय दिशानिदेशों का पालन करते हुए अपीलार्थी द्वारा केन्द्र के संचालन से हमेशा संतुष्ट रहे है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के जवाब में अपना पक्ष रखते हुए अपने स्पष्टीकरण में यह कथन किया गया है कि दिनांकः 18.10.2012 को दिन के लगभग 11:30 बजे परियोजना पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। केन्द्र संचालन का समय 9:00 बजे से 1:00 बजे तक था, स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चों का आना जारी था। खाना खाने के समय बच्चों की उपस्थिति 28 थी तथा शेष बच्चों का पोषाहार अभिभावक ले गए। केन्द्र पर भंडारण की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सारा पंजी एवं राशन घर पर रखना पड़ता है। प्रति दिन घर से ले जाने के चलते उक्त तिथि को जल्दबाजी में कुछ पंजी घर पर छुट गया था। इसी प्रकार अपीलार्थी सेविका श्रीमति आभा देवी द्वारा भविष्य में उपरोक्त किसी भी शिकायत की पुनरावृत्ति नहीं होने का विश्वास व्यक्त किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा उन्हें आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सुपौल से किया गया।

रेस्पोण्डेन्ट की ओर से सरकारी अधिवक्ता सरकार के पक्ष में बहस करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा संबंधित वाद में पारित आदेश को सही बतलाते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकनोपरांत पाया कि

उक्त विवेचनाओं से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि आभा देवी, सेविका के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाये गये है वो सुनवाई का पर्याप्त

अवसर प्रदान करते हुए निम्नन्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है उसमें किसी तरह की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपीलवाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमंडल, सहरसा